कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-112/2016-17/

दिनांक : /06/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- औखलकाण्डा

जिला- नैनीताल

विषय : क्षेत्र पंचायत औखलकाण्डा का वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **01** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **01 (अ से ड़ तक)** प्रस्तर तथा STAN मे **02** प्रस्तर है। इस प्रस्तर को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के प्रस्तर की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 112/2016-17/ **दिनांक: /06/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड निकट आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा मार्ग, देहरादून

3- निदेशक, लेखापरीक्षा(आडिट निदेशालय द्वितीयतल- आयुक्त कर भवन, जोगीवाला,मसूरी बीईपास, रिंग रोड देहरादून,

4- जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये खण्ड़ विकास अधिकारी, क्षे.पं.- औखलकाण्डा पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड़ विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्री कैलाश चन्द्र सुयाल	-	खण्ड़ विकास अधिकारी
(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम		(i) श्री मनोहर सिंह, लेखापरीक्षक (ii) श्री हिमांशु शर्मा, स.ले.प.अ. . (iii) श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ.
(स) संप्रेक्षा तिथि 11.03.2017 से 20.03.2017 तक (द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि :2013-14 से 2015-16 तक		

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **क्षे.पं.- औखलकाण्डा, जनपद- नैनीताल**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतो तथा ग्राम पंचायतों की संख्या हैः-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः 79

भौगोलिक क्षेत्र :-16656 हे.

जनसंख्या : 48337

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्याः-36

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 03

4- (ब)उपसमितियों , स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: 06

5- कर्मचारियों की संख्या 18

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : - 05

7- पंचायती राज के अपने प्रोजेक्ट :--

8- योजनाओं की संख्या -

9- (अ) सामाजिक संरक्षाः-

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धितः-- संलग्नक अनुसार

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें

(द) लाभार्थियों की संख्याः-

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय व्यय विवरण के अनुसार-

(अ)-सामान्यः भाग 3 के अनुसार भाग तीन के अनुसार

(ब) योजनाओं पर प्रत्येक योजना का अलगएवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये। (अलग दर्शाया जाये-

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया -

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- औखलकाण्डा** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ. श्री हिमांशु शर्मा, स.ले.प.अ. श्री मनोहर सिंह, ले.प. द्वारा दिनांक 11.03.2017 से 20.03.2017 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-IV(ब)I**	**प्रस्तर भाग-IV(ब)II**	**STAN**
(i)महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर			-

प्रथम लेखा परीक्षा है

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -		
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची:	-	-
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:	-	-

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर-1:- ` 16.58 लाख की धनराशि के अग्रिम का असमायोजित रहना।

कार्यालय की पत्रावलियों की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि सारणी के अनुसार रु॰ 1657534/- का अग्रिम असमायोजित है जिसका विवरण इस प्रकार है।

क्र॰ स॰	कर्मचारी का नाम	वर्तमान मे तैनाती	अग्रिम की अवधि	अग्रिम धनराशि	कार्यों की स॰ जिस हेतु अग्रिम दिया गया
1	जी॰ सी॰ श्रीवास्तव	प्रा॰ स्वा॰ केंद्र, बेलपड़ाव	2007-08 से 2012-13	468138	17
2	अशोक शर्मा	विकास खंड, कोटबाग	2006-07 से 2008-09	469244	17
3	राजेंद्र चन्द्र तिवाड़ी	विकास खंड, हल्द्वानी	2007-08 से 2008-09	69560	3
4	सुरेश चन्द्र आर्य	विकास खंड, धारी	2007-08	87622	4
5	मो॰ अफाक	विकास खंड, जसपुर	2009-10	60000	2
6	आनंद शर्मा	नलकूप खंड, बाजपुर	2007-08	30000	1
7	मो॰ तारिक	विकास खंड, बाजपुर	2008-09	20000	1
8	हरीश चन्द्र सिंह नेगी	----	2010-11 से 2012-13	162141	7
9	जी॰डी॰ जोशी	विकास खंड, हल्द्वानी	2012-13	20000	1
10	जगदीश चन्द्र जोशी	विकास खंड, धौलदेवी	2007-08	80809	3
11	के॰ सी॰ बहुगुणा	विकास खंड, हल्द्वानी	2012-13	20000	1
12	तराचन्द्र	विकास खंड, ओखलकांडा	2013-14	25000	1
13	शेखर जोशी	विकास खंड, ओखलकांडा	2009-10, 2014-15	115020	3
14	मदन सिंह राणा	विकास खंड, रामनगर	2009-10	30000	1

			कुल	**1657534**	**62**

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2006-07 से अग्रिम लंबित है साथ ही जिन निर्माण कार्यों हेतु अग्रिम दिया गया वो भी अपूर्ण है साथ ही अग्रिम रजिस्टर का रखरखाव सही से नहीं किया जा रहा है ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यालय के द्वारा बताया गया कि संबन्धित कर्मचारियों से पत्राचार किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्यूकि:-

1. अग्रिम जिन कार्यों हेतु दिये गए हैं वो कार्य अपूर्ण है जिससे योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है।
2. दो कर्मचारियों को छोडकर संबन्धित कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्य कार्यालयों मे कर दिया गया है तो स्थानांतरण से पहले रिकवरी सुनिश्चित क्यो नहीं की गई।
3. लगभग 2-10 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कोई प्रशासनिक कार्यवाई संबन्धित कर्मचारियों पर नहीं की गई ।
4. अग्रिम पर बैंक खातों मे प्राप्त होने वाले 4% ब्याज का भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है
5. मामले की जांच कर कारण स्पष्ट नही किया गया था।
6. कर्मचारियों को जो कार्यादेश किए गए है उन पर अग्रिम की शर्तों को स्पष्ट किया जाना चाहिए था।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदित किया जा रहा है ।

STAN

प्रस्तर-1:- राज्यवित्त आयोग से ₹` 8.5 लाख धनराशि के निर्माण कार्यों को निविदा के आधार पर न कराया जाना |

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2015 एवं उत्तराखण्ड शासन, वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनुभाग-7 के पत्रांक- /xxvii(7)/2008 देहारादून दिनांक- 15 जून, 2015 के नियम-39 के अनुसार सक्षम अधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर ₹ 3 लाख लागत तक के कार्य कार्यादेश के माध्यम से करा सकता है |

क्षेत्र पंचायत, ओकलकांडा की लेखा परीक्षा में पाया गया कि इकाई द्वारा वर्ष 2015-16 में राज्य वित्त आयोग अनुदान निधि से अनुलग्नक 'ख' के अनुसार 2 निर्माण कार्य जिनके आगणन की धनराशि क्रमशः ₹ 3.5 लाख एवं ₹ 5 लाख थी, कार्यादेश के आधार पर पूर्ण कराये गए थे जो उक्तानुसार निविदा आमंत्रण प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण कराये जाने थे |

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उक्त हेतु इकाई द्वारा भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा |

तथ्य प्रकाश में लाया जाता है |

अनुलग्नक 'ख'

क्रम संख्या	**वर्ष**	**कार्य का विवरण**	**आगणन की धनराशि (लाख में)**
1	2015-16	गाजा से बकड़िया की ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण	3.5
2	2015-16	कोटला के किमकड़िया से ददोली गधेरे तक सम्पर्क मार्ग निर्माण	5.0

प्रस्तर-2:- निर्माण कार्यों से लेबर सेस की कटौती न करना ₹ ` 0.097 लाख।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या/वी/13-35(श्रम)/2011 दिनांक 10 अप्रैल 2013 के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से कराये जाने वाले समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों जिनमें दस या दस से अधिक श्रमिक नियोजित हों, पर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 (अधिनियम संख्या 28 सन 1996) के अधीन उपकर निर्धारण एवं संग्रहण कर , संग्रहित उपकर को संग्रह के तीस दिवसों के भीतर सचिव उत्तराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हल्द्वानी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाना चाहिए। कार्यालय मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष प्रकीर्ण वर्ग उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग देहारादून के पत्रांक 1258/1710 वि॰प्र॰/13 दिनांक 11/09/2013 के अनुसार केंद्रीय शैड्यूल आफ रेट्स के पुनरीक्षण में प्रत्येक मद में 1% लेबर सेस का प्रावधान किया गया है ।

विभाग की नमूना संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में ठेके पर दिये गए / प्रारम्भ किए गए ₹ 9.7 लाख के एक कार्य पर श्रम उपकर की धनराशि का निर्धारण एवं संग्रहण नहीं किया गया।

इकाई ने उत्तर में बताया कि उनके पास लेबर सेस कटौती संबंधी कोई भी शासनादेश नहीं था तथा वर्तमान में तथा भविष्य में जो भुगतान होंगे उनसे लेबर सेस कटौती कर कर्मकार कल्याण बोर्ड, हल्द्वानी को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाएगा ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आगणन में लेबर सेस का प्रावधान था इससे ठेकेदारों को 1% लेबर सेस के रूप में अधिक भुगतान हो रहा है ।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदित किया जा रहा है ।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर-1(क):- ` 112.13 लाख के निर्माण कार्यो का लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण रहना।

विभाग के द्वारा निर्माण कार्यो को निर्धारित समयावधि मे पूर्ण किया जाना चाहिए जिससे आमजन को उसका समयोचित हितलाभ हो सके तथा सरकार के द्वारा परिलक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

लेखापरीक्षा दल के द्वारा लेखापरीक्षा हेतु चयनित निर्माण कार्यो कि पत्रवालियों कि जांच मे पाया गया कि संलग्नक के अनुसार विभिन्न निधियों के 74 कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे उक्त कार्य 3-6 माह मे पूर्ण हो जाने चाहिए लेकिन इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे

इसे इंगित किए जाने पर विभाग के द्वारा बताया गया कि अपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाए जाएंगे

उत्तर मान्य नहीं है क्यूकि लगभग 1-8 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी कार्य पूर्ण नहीं कराये गए है जोकि कार्यालय कि शिथिलता को दर्शाता है। और जो कार्यो पर धनराशि खर्च कि गई है वह इतने समय के पश्चात औचित्यहीन प्रतीत होती है।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदित किया जा रहा है ।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर-1(ख):- ` 240.50 लाख के मनरेगा के निर्माण कार्यो का लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण रहना।

विभाग के द्वारा निर्माण कार्यो को निर्धारित समयावधि मे पूर्ण किया जाना चाहिए जिससे आमजन को उसका समयोचित हितलाभ हो सके तथा सरकार के द्वारा परिलक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

लेखापरीक्षा दल के द्वारा लेखापरीक्षा हेतु चयनित निर्माण कार्यो कि पत्रवालियों कि जांच मे पाया गया कि संलग्नक के अनुसार विभिन्न निधियों के कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	अपूर्ण कार्यों की संख्या	स्वी.धन. (लाख मे)	व्यय धनराशि (लाख मे)
1	2014-15	04	15.77	13.07
2	2015-16	190	224.73	137.98
	कुल	194	240.50	151.05

उक्त कार्य 3-6 माह मे पूर्ण हो जाने चाहिए लेकिन इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे

इसे इंगित किए जाने पर विभाग के द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के द्वारा धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्य लंबित है।

उत्तर मान्य नहीं है क्यूकि लगभग 1-2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी कार्य पूर्ण नहीं कराये गए है जिससे की आगामी वर्ष के कार्यों को भी समय से पूर्ण कराया जाना संभव नहीं हो पाएगा क्योकि लंबित कार्यों की संख्या बढ़ती जा रही है।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदित किया जा रहा है ।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर-1(ग):- ` 104.256 लाख की धनराशि के 13 आंगनवाणी केन्द्रों के निर्माण कार्यो का लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण रहना।

मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल के पत्रांक सी-392/जि॰का॰अ॰/आ॰बा॰भ॰नि॰/2015-16 दिनांक 08/07/2015 के द्वारा विकास खंड मे 13 आंगनवाणी केंद्र भवन निर्माण की स्वीक्रती प्रदान की गई जिस हेतु कुल 104.796 लाख की धनराशि आवंटित की गई जिसमे 58.5 लाख विभाग के द्वारा एवं 46.296 लाख की धनराशि का आवंटन मनरेगा से किया गया।

उक्त कार्य 6 माह मे पूर्ण हो जाने चाहिए लेकिन एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे

इसे इंगित किए जाने पर विभाग के द्वारा बताया गया कि योजना मे मनरेगा से युगपति होने के कारण श्रमिकों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य कराया जा रहा है कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्यूकि लगभग 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी कार्य पूर्ण नहीं कराये गए है तथा इस संबंध मे जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास सेवा, नैनीताल के द्वारा निर्माण कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु बार बार लिखा एवं चेतावनी दी गई है।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदित किया जा रहा है ।

प्रस्तर-1(घ):- इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 5 आवासों का कार्य अपूर्ण रहना |

इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन उन परिवारों को जिनके पास पर्याप्त सुविधा नहीं है, आवास निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है | योजना के अनुसार प्रत्येक आवास में शौचालय एवं धुआँ रहित चूल्हे का निर्माण अवश्य किया जाना था | इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दो चरणों में धनराशि आवंटित की जानी थी | प्रथम किश्त जारी होने के 9 माह के अंदर लिंटर तक का कार्य पूर्ण होना चाहिए था तथा दूसरी किश्त जमा होने के 9 माह के अंदर आवास का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण किया जाना था | ब्लॉक स्तर से उक्त योजनाओं का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए था तथा निगरानी करके सत्यापित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी |

उपर्युक्त योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत ओखलकांडा द्वारा वर्ष 2015-16 में जिन लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी की गयी थी उनमें से 5 लाभार्थियों द्वारा प्रथम किश्त प्राप्त करके न तो आवासों का कार्य पूर्ण किया गया है और न ही द्वितीय किश्त हेतु अनुरोध किया गया है | आगे जांच में यह भी पाया गया कि क्षेत्र पंचायत स्तर से भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है | अभिलेखों से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त लाभार्थियों द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है या नहीं |

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि जिन लाभार्थियों के कार्य पूर्ण नहीं हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण करा लिया जाएगा |

तथ्य प्रकाश में लाया जाता है |

भाग-4 (ब) 2

प्रस्तर-1(ड़):- सरलीकृत ऋण-सह अनुदान आवासीय योजना के तहत वर्ष 2013-14 से 2015-16 में चयनित 39 लाभार्थियों के आवास का कार्य अपूर्ण रहना |

उत्तराखंड शासन ग्राम्य विकास विभाग के पत्र संख्या 1340/xi/06/56(36)/2004 दिनांक 23-02-2007 के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने सरलीकृत ऋण-सह अनुदान आवासीय योजना (credit cum subsidy) का संचालन प्रारम्भ किया | उक्त योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से ऊपर उन आवास विहीन लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान था जिन लोगों की वार्षिक आय ₹ 32000 से अधिक न हो | इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को बैंक द्वारा ₹ 50000 की धनराशि का ऋण दिया जाना था जिसमें से राज्य सरकार द्वारा ₹ 10000 का अनुदान इस शर्त पर देय था कि आवासों का निर्माण 6 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा | उक्त योजना के तहत निर्मित आवासों का शत प्रतिशत सत्यापन सहायक खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाना था एवं मानकों के अनुसार कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना था |

उपर्युक्त योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक 39 लाभार्थियों को ₹ 390000/- की धनराशि प्रदान की गयी थी | आगे जांच में पाया गया कि उक्त लाभार्थियों को उक्त वर्षों में धनराशि प्रदान की गयी थी | उनके द्वारा आवासों का कार्य प्रारम्भ या पूर्ण होने का प्रमाण अभिलेखों में नहीं था |

उपर्युक्त के सम्बंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि समस्त कार्य पूर्ति प्रमाण पत्रों को खण्ड स्तर पर जमा करके संप्रेक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा |

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्यों की मौनीटरिंग समय समय पर की जानी थी तथा समस्त कार्य 6 माह में पूर्ण किए जाने थे जो नहीं किए गए |

तथ्य प्रकाश में लाया जाता है |

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति क्षेत्र पंचायत -औखलकाण्डा, **जिला-नैनीताल,** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0